वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 09.08.2024 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर", अमर उजाला, आज, ज्ञानशिखा टाइम्स, न्यायाधीश," समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

अमर उजाला –दि0 09.08.2024

दो बीघा जमीन पर हो रही अवैध प्लॉटिंग पर चला बुलडोजर

वाराणसी। वीडीए वीसी पुलकित गर्ग ने बताया कि बृहस्पतिवार को जोन एक में मौजा सहमलपुर थाना शिवपुर में दो बीघा जमीन में अज्ञात व्यक्ति की ओर से अवैध प्लाटिंग विकसित की जा रही थी। यहां टीम भेजकर कराए गए निर्माणों को ध्वस्त करा दिया। उधर, वीडीए वीसी पुलकित गर्ग ने बताया कि जोन टू में सारनाथ क्षेत्र के मौजा साईं में चार बीघा जमीन पर अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त कराई गई। जोनल अधिकारी संजीव कुमार ने बताया कि अज्ञात लोगों की ओर से प्लॉटिंग कराई जा रही थी। ब्यूरो

आज –दि0 09.08.2024

छह बीघा जमीन के प्लाटिंग पर चली जेसीबी

विप्रा उपाध्यक्ष के निर्देश पर जोन-२ वार्ड सारनाथ मौजा-सांई थाना चोलापुर में चार बीघा अवैध जमीन पर प्लाटिंग की जा रही थी। मौके पर पहुंची अभियंताओं की टीम जिसमें जोनल अधिकारी संजीव कुमार, अवर अभियंता जय प्रकाश गुप्त, क्षेत्रीय थाने की पुलिस, सुपरवाइजर, प्रवर्तन दल ने जेसीबी के सहायता से प्लाटिंग पर हुयें निर्माण को ध्वस्त कर दिया। इसी प्रकार जोन संख्या-१ वार्ड शिवपुर में दो बीघा जमीन पर अवैध प्लाटिंग की जा रही थी। जानकारी के अनुसार जोनल अधिकारी सिंह गौरव जय प्रकाश, अभियंता अंबरीश शर्मा, निकटम थाने की पुलिस, सुपरवाइजर, प्रवर्तन दल ने जेसीबी की मदद से जमीन पर हुये प्लाटिंग को ध्वस्त कर दिया।

आकाशदीप परिषद का विप्रा उपाध्यक्ष ने किया औचक निरीक्षण

विप्रा उपाध्यक्ष ने गुरुवार को आकाशदीप योजना का मौके पर किया निरीक्षण। उल्लेखनीय है कि आकाशदीप काम्प्लेक्स में कई दूकानें अभी रिक्त पड़ी हैं और गंदगी सफाई न होने से आसपास क्षेत्रों में बदबू आ रही थी। अभी हाल में उपाध्यक्ष ने स्थल का निरीक्षण किया था और साफ-सफाई का निर्देश दिया था। इसको देखते हुए विप्रा अभियंताओं के निरीक्षण में आकाशदीप की सफाई हुई और अवैध रूप से कब्जेदारों को भगाया गया। यहां मिले अभिलेखों को सुरक्षित रख दिया गया। उपाध्यक्ष के साथ निरीक्षण में अधिशासी अभियंता आनन्द मिश्र, अरविन्द शर्मा, राजू जायसवाल, संपत्ति अधिकारी, प्रभारी अधिकारी स्टोर व नजारत, लाल सुमन प्रभारी अधिकारी रिकार्ड देवचंद्र राम मौजूद थे।

ज्ञानशिखा टाइम्स –दि0 09.08.2024

उपाध्यक्ष के निर्देश पर वाराणसी विकास प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम द्वारा अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही

वाराणसी। वार्ड-शिवपुर के अन्तर्गत अज्ञात द्वारा मौजा सहमलपुर थाना शिवपुर में 02 बीघा अवैध प्लाटिंग विकसित की जा रही थी। उपरोक्त स्थल पर किये गये अवैध प्लॉटिंग को आज प्रवर्तन टीम एवं पुलिस बल के सहयोग से ध्वस्त किया गया। मौके पर जोनल अधिकारी श्री सिंह गौरव जय प्रकाश, जोनल अधिकारी श्री अम्बरीश शर्मा एवं प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर व पुलिस बल उपस्थित रहे।

वहीं दुसरी तरफ वार्ड-सारनाथ के अन्तर्गत अज्ञात द्वारा मौजा साई थाना चोलापुर में 04 बीघा अवैध प्लाटिंग विकसित की जा रही थी। उपरोक्त स्थल पर किये गये अवैध प्लॉटिंग को आज 08/08/2024 को प्रवर्तन टीम एवं पुलिस बल के सहयोग से ध्वस्त किया गया। मौके पर जोनल अधिकारी श्री संजीव कुमार, अवर अभियन्ता श्री जय

प्रकाश गुप्ता एवं प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर व पुलिस बल उपस्थित रहे उपाध्यक्ष महोदय द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से ले-आउट स्वीकृत प्लॉट ही खरीदें तथा मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।

ज्ञानशिखा टाइम्स –दि0 09.08.2024

वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने आकाशदीप परिसर का किया निरीक्षण

वाराणसी। वीडीए उपाध्यक्ष द्वारा आकाशदीप परिसर का पुनः निरीक्षण किया गया। 2 दिन पूर्व भी उपाध्यक्ष वीडीए द्वारा आकाशदीप कंपलेक्स का निरीक्षण किया गया था तथा साफ

सफाई के निर्देश दिए गए थे। उक्त निर्देश के क्रम में बेसमेंट में स्थित बरामदे व गलियारों में साफ सफाई कर दी गई थी तथा कुछ स्थानों पर लाइट भी लगा दी गई थी। आकाशदीप के सामने के परिसर में भी पड़े हुए कबाड़ को हटाकर के साफ सफाई कर दी गई थी। उपाध्यक्ष वीडीए द्वारा निर्देशित किया गया कि बेसमेंट में जो दुकान अभी नहीं बिकी हैं उनमें भरे हुए अभिलेखों को यथा स्थान सुरक्षित रखवा दिया जाए तथा एक बार पुनः साफ सफाई कर करके पुताई भी करवा दी जाए। बेसमेंट परिसर में लाइट की व्यवस्था समुचित नहीं है लाइट और अधिक संख्या में लगवाई जाए। अभी भी कुछ स्थानों पर अलमारियां एवं खाली रैक पाए गए उनको भी यथास्थान यहां से हटा करके यथा स्थान सुरक्षित रखने हेतु निर्देशित किया गया। निरीक्षण के समय आनंद मिश्रा अधिशासी अभियंता निर्माण, अरविंद शर्मा अधिशासी अभियंता निर्माण, राजीव जायसवाल संपत्ति अधिकारी, लाल सुमन प्रभारी अधिकारी स्टोर व नजारत, देवचंद्र राम प्रभारी अधिकारी रिकॉर्ड आदि उपस्थित थे।

न्यायाधीश –दि0 09.08.2024

प्राथमिक / सेकेण्डरी विद्यालयों व आंगनबाड़ी के सुन्दरीकरण के लिए पुर्नविकास के कार्य के सम्बन्ध में बैठक आयोजित

वाराणसी।उपाध्यक्ष वाराणसी विकास प्राधिकरण पुलकित गर्ग की अध्यक्षता में 08 अगस्त को मुख्य विकास अधिकारी, वाराणसी (सी0डी0ओ) हिमांशु नागपाल, सिडको (सहायक अभियंता), डी0आर0डी0ए (सहायक अभियंता), के साथ उपाध्यक्ष कक्ष में वाराणसी शहर में स्थित प्राथमिक / सेकेण्डरी विद्यालयों के ब्यूटीफिकेशन / इन्फ्रास्ट्रक्चर, आंगनबाड़ी के सुन्दरीकरण हेतु पुर्नविकास के कार्य के सम्बन्ध में बैठक की गई। जनपद वाराणसी में संचालित विद्यालयों के पुर्नविकास हेतु धनराशि उपलब्ध करायी गई थी। उपरोक्त विषयक कार्यों हेतु अवस्थापना निधि से कमशः धनराशि रू0 200.00 लाख दिनांक 20.02.2023, धनराशि रू0 248.50 लाख दिनांक 12.04.2023 एवं धनराशि रू0 200.00 लाख दिनांक 11.12.2023 को अवमुक्त की गयी थी। जिसके सम्बन्ध में उपाध्यक्ष महोदय ने निर्देशित किया कि प्राधिकरण द्वारा अवस्थापना निधि से किये गये कायों को माननीय जन प्रधिनिधि (एम0एल0ए) द्वारा लोकापर्ण करवाया जाय तथा दिवालों पर वाराणसी विकास प्राधिकरण के प्रतीक चिन्ह के चित्रकला को भी प्रर्दशित कराया जाए।बैठक में मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु नागपाल, सिडको (सहायक अभियंता), डी0आर0डी0ए (सहायक अभियंता), अरविन्द कुमार पाठक (बेसिक शिक्षा अधिकारी), अधिशासी अभियन्ता अरविन्द शर्मा (वीडीए), सहायक अभियंता शिवाजी मिश्रा (वीडीए), उपस्थित रहें।

न्यायाधीश –दि0 09.08.2024

वीडीए उपाध्यक्ष ने पुनः किया आकाशदीप परिसर का निरीक्षण

वाराणसी। वीडीए उपाध्यक्ष द्वारा 8 अगस्त को आकाशदीप परिसर का पुनः निरीक्षण किया गया। 2 दिन पूर्व भी उपाध्यक्ष वीडीए द्वारा आकाशदीप कंपलेक्स का निरीक्षण किया गया था तथा साफ सफाई के निर्देश दिए गए थे। उक्त निर्देश के क्रम में बेसमेंट में स्थित बरामदे व गलियारों में साफ सफाई कर दी गई थी तथा कुछ स्थानों पर लाइट भी लगा दी गई थी। आकाशदीप के सामने के परिसर में भी पड़े हुए कबाड़ को हटाकर के साफ सफाई कर दी गई थी। उपाध्यक्ष वीडीए द्वारा निर्देशित किया गया कि बेसमेंट में जो दुकान अभी नहीं बिकी है उनमें भरे हुए अभिलेखों को यथा स्थान सुरक्षित रखवा दिया जाए तथा एक बार पुनः साफ सफाई कर करके पुताई भी करवा दी जाए। बेसमेंट परिसर में लाइट की व्यवस्था समुचित नहीं है लाइट और अधिक संख्या में लगवाई जाए। अभी भी कुछ स्थानों पर अलमारियां एवं खाली रैक पाए गए उनको भी यथास्थान यहां से हटा करके यथा स्थान सुरक्षित रखने हेतु निर्देशित किया गया। निरीक्षण के समय श्री आनंद मिश्रा अधिशासी अभियंता निर्माण, श्री अरविंद शर्मा अधिशासी अभियंता निर्माण, श्री राजीव जायसवाल संपत्ति अधिकारी, श्री लाल सुमन प्रभारी अधिकारी स्टोर व नजारत, श्री देवचंद्र राम प्रभारी अधिकारी रिकॉर्ड आदि उपस्थित थे।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

न्यायाधीश–दि0 09.08.2024

वाविप्रा ने की अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही

वाराणसी। उपाध्यक्ष वाविप्रा द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी जोन-2 की प्रवर्तन टीम द्वारा अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गयी।इसके तहत वार्ड-सारनाथ के अन्तर्गत अज्ञात द्वारा मौजा साई थाना चोलापुर में 04 बीघा अवैध प्लाटिंग विकसित की जा रही थी। उपरोक्त स्थल पर किये गये अवैध प्लॉटिंग को आज 08/08/2024 को प्रवर्तन टीम एवं पुलिस बल के सहयोग से ध्वस्त किया गया।इस मौके पर जोनल अधिकारी श्री संजीव कुमार, अवर अभियन्ता श्री जय प्रकाश गुप्ता एवं प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर व पुलिस बल उपस्थित रहे।इसी क्रम में वार्ड-शिवपुर के अन्तर्गत अज्ञात द्वारा मौजा सहमलपुर थाना शिवपुर में 02 बीघा अवैध प्लाटिंग विकसित की जा रही थी। उपरोक्त स्थल पर किये गये अवैध प्लॉटिंग को आज 08/08/2024 को प्रवर्तन टीम एवं पुलिस बल के सहयोग से ध्वस्त किया गया।इस मौके पर जोनल अधिकारी सिंह गौरव जय प्रकाश, जोनल अधिकारी श्री अम्बरीश शर्मा एवं प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर व पुलिस बल उपस्थित रहे।उपाध्यक्ष वाविप्रा द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से ले-आउट स्वीकृत प्लॉट ही खरीदें तथा मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।